Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 117-2017/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, JULY 5, 2017 (ASADHA 13, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 05 जुलाई, 2017

संख्या 55/ एसटी-2.— हरियाणा माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी-2, दिनांक 30 जून 2017, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं तथा संशोधन प्रथम जुलाई, 2017 से लागू हुए समझे जाएंगे, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में, --

I. अनुसूची I - 2.5% में,

(i) "अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/टैरिफ मद" शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 180 के सामने, "30" अंको के स्थान पर, "30 या कोई अध्याय" अंक तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) क्रम संख्या 182 तथा उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“182 क	3102	खनिज या रसायनिक उर्वरक, नाइट्रोजनी, उनसे भिन्न, जिनका स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना है
182 ख	3103	खनिज या रसायनिक उर्वरक, फास्फेटी, उनसे भिन्न, जिनका स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना है
182 ग	3104	खनिज या रसायनिक उर्वरक, पोटाशी, उनसे भिन्न, जिनका स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना है
182 घ	3105	खनिज या रसायनिक उर्वरक, जिनमें नाइट्रोजनी, फास्फोरस, पोटाशियम में से दो या तीन उर्वरक तत्व अंतर्विष्ट हैं; अन्य उर्वरक, इस अध्याय के माल, टिकियों या वैसे ही रूपों में पैकेजों में, जिनका सकल भार 10 किलोग्राम से अधिक नहीं है, उनसे भिन्न, जिनका स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना है'’;

I. अनूसूची II - 6% में, क्रम संख्या 66, 67, 68 और 69 तथा उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा ;

II. अनुसूची III- 9% में, -

(i) क्रम संख्या 42, 43 तथा 44 के सामने,खाना (3) के नीचे, ''उनसे भिन्न'' शब्दों का लोप कर दिया जाएगा ;

(ii) क्रम संख्या 411 के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् ;

(3)
‘’चश्में (संशोधक से भिन्न)’’ ।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 5th July, 2017

No.55/ST-2.— In exercise of the power conferred by Sub-section (1) of section 9 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Goods and Services Tax Council hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No.35/ST-2, dated the 30th June, 2017, with effect from 1st July, 2017, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No.35/ ST-2, dated the 30th June, 2017,-

I. In Schedule I – 2.5%, -

(i) against serial number 180, under column 2, for the figure 30, the figure and words “30 or any chapter” shall be substituted;

(ii) after serial number 182, under columns 1, 2 and 3, the following serial numbers and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

S.No.	**Chapter/Heading/Sub-Heading/Tariff item**	**Description of Goods**
(1)	(2)	(3)
"182A	3102	Mineral or chemical fertilisers, nitrogenous, other than those which are clearly not to be used as fertilizers
182B	3103	Mineral or chemical fertilizers, phosphatic, other than those which are clearly not to be used as fertilizers
182C	3104	Mineral or chemical fertilizers, potassic, other than those which are clearly not to be used as fertilizers
182D	3105	Mineral or chemical fertilizers containing two or three of the fertilising elements nitrogen, phosphorus and potassium; other fertilizers; goods of this Chapter in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10kg; other than those which are clearly not to be used as fertilizers".

II. In Schedule II-6%, serial numbers 66, 67, 68 and 69 and entries thereagainst shall be omitted.

III. In Schedule III-9%,-

(i) against serial number 42, under column (3), the words "other than those" shall be omitted;

(ii) against serial number 411, under column (3), the words and sign "goggles and the like, corrective, protective or other" shall be omitted.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.

55459—C.S.—H.G.P., Chd.